संख्या-28/2022/81(2)/23-14-2022-08आ0पू0वि0नि0/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोण्डा एवं सुलतानपुर।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 09 मार्च, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 में जनपद- बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, बस्ती, गोण्डा एवं सुलतानपुर की 22 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-1344/पू0वि0नि0, दिनांक 27.07.2021, संख्या-1477/पू0वि0नि0, दिनांक 07.08.2021, संख्या-1961/पू0वि0नि0, दिनांक 21.09.2021 एवं संख्या-2785/पू0वि0नि0, दिनांक 06.12.2021, मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-928/2सी/पू0वि0नि0/2020-21, दिनांक 09.03.2021, संख्या-1051/2सी/पू0वि0नि0/राज्यांश/2020-21, दिनांक 18.03.2021, संख्या- 930/2सी/पू0वि0नि0/2020-21, दिनांक 09.09.2021 एवं संख्या-2257/2ए/21, दिनांक 03.11.2021, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या-1242/3ए, दिनांक 02.07.2021, मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ का पत्र संख्या-13/पू0वि0नि0राज्यांश/21-22, दिनांक 06.08.2021, मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती के पत्र संख्या-127/पू0वि0नि0-राज्यांश/2020-21/सी-21, दिनांक 13.01.2022, संख्या-293/पू0वि0नि0-राज्यांश/2018-19/सी-21, दिनांक 29.01.2022, मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या-4504/1सी, दिनांक 13.12.2021, संख्या-4504(1)/1सी, दिनांक 13.12.2021 एवं संख्या-4049/पू0वि0नि0-राज्यांश(मांग)-2021-22, दिनांक 14.12.2021, मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर के पत्र संख्या-556/पू0वि0नि0/राज्यांश/21-22, दिनांक 8.02.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित जनपदों की कतिपय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में अंकित जनपदों की 22 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगली किस्त के रूप में धनराशि रू0 10,45,31,000.00 (रूपये दस करोड़ पैंतालीस लाख इकतीस हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम/ जनपद का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रसादपुर माइनर से चकरा प्रा0 विद्यालय होते हुये अहिरौला गांव से जुगेसर ग्राम सभा तक मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलिया**	127/2019/56ए/23-14-2019-40आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 10.03.2019	3.500	208.10	42.62	70.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	नगरा मझवारा मार्ग से कुसहा ब्राम्हण, उपसा बंधा, बाराडीह, लवाई पट्टी लखुवरा होते हुए बहराच तक मार्ग के नव निर्माण कार्य। **जनपद-बलिया**	55/2019/118/23-14-2019-35आ0पू0 वि0नि0/2018, दिनांक 08.02.2019	9.00	418.64	167.45	70.00
3	मर्ची काली स्थान से माधोराम ब्रम्हबाबा के स्थान तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया के नव निर्माण कार्य। **जनपद-बलिया**	122/2019/234/23-14-2019-06आ0पू0 वि0नि0/2018, दिनांक 10.03.2019	2.000	175.97	72.38	70.00
4	मलवकली ग्राम के आगे गोपालपुर के बीच लकड़ा नाले पर पुलिया एवं पहुंच मार्ग का नव निर्माण कार्य। **जनपद-बलिया**	8/2019/1334/23-14-2018-14आ0पू0 वि0नि0/2018, दिनांक 01.01.2019	0.300	108.45	43.38	50.00
5	अन्तू अठेहा मार्ग पश्चिम ग्राम से शाहजहां सं0 मार्ग। **जनपद-प्रतापगढ़**	85/2018/385/23-14-2018-69आ0पू0 वि0नि0/2018, दिनांक 30.03.2018	1.20	67.81	54.24	11.57
6	छतरपुर पंचायत भवन से जोरई रघना सरबरिहन का पुरवा होते हुए चिरकुटहा सं0 मार्ग। **जनपद-प्रतापगढ़**	तदैव	2.50	137.49	109.97	25.52
7	मकरा मनभौवना मार्ग से ब्राम्हण बस्ती सं0 मार्ग। **जनपद-प्रतापगढ़**	88/2018/335/23-14-2018-14आ0पू0 वि0नि0/2017, दिनांक 30.03.2018	1.50	73.60	58.88	12.72
8	पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग से ओझा बस्ती सं0 मार्ग। **जनपद-प्रतापगढ़**	तदैव	1.64	70.09	56.33	11.75
9	गायघाट चन्द्रिकन रोड से बद्री प्रसाद मौर्य के घर होते हुए चिलबिला अमेठी मार्ग तक सं0 मार्ग। **जनपद-प्रतापगढ़**	18/2019/1357/23-14-2018-33आ0पू0 वि0नि0/2018, दिनांक 16.01.2019	1.350	53.78	21.51	27.27
10	भवानीगढ़ नहर की पटरी से जियन का पुरवा होते हुए अमेठी शाहबरी हाईवे (लेबुडा) तक सम्पर्क मार्ग। **जनपद-प्रतापगढ़**	474/2016/1295/23-14-2016-80आ0पू0 वि0नि0/2016, दिनांक 13.12.2016	2.50	118.24	1.00	70.00
11	मधुकरपुर से डुहिया रामघाट तक मार्ग एवं 3 गुणे 5 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कल्वर्ट सहित निर्माण कार्य। **जनपद-प्रतापगढ**	तदैव	2.00	163.15	1.00	70.00
12	सदरूद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-जौनपुर**	20/2021/550/23-14-2020-101आ0पू0वि0नि0/2017,दिनांक 02.02.2021	2.00	95.04	38.01	50.00
13	चपरामऊ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-जौनपुर**	तदैव	1.25	59.89	23.95	30.94
14	गोपालपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-आजमगढ़**	139/2021/597/23-14-2021-101आ0पू0 वि0नि0/2017, दिनांक 25.03.2021	1.40	68.51	27.40	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	परसरामपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत बस्थनवा प्रधानमंत्री रोड दुलारपरुवा से तेलियाडीह तक रोड का नवनिर्माण। **जनपद-बस्ती**	120/2021/327/23-14-2020-34आ0पू0 वि0नि0/2021, दिनांक 23.03.2021	1.50	109.86	10.98	50.00
16	छतौना विक्रमजोत (शेर बहादुर सिंह के घर तक) पड़रिया छतौना सड़क से बन्धे तक मार्ग। **जनपद-बस्ती**	120/2021/ 327/23-14-2020-34आ0पू0 वि0नि0/2021, दिनांक 23.03.2021	2.00	146.08	73.32	50.00
17	पवारपुरवा से अचलीपुरवा, अमरनाथ ओझा घर, गुरसड़डीहा होते हुए बाबा बटौरा तक सम्पर्क मार्ग। **जनपद-गोण्डा**	162/2021/ 486/23-14-2021-08आ0पू0 वि0नि0/2020, दिनांक 25.03.2021	4.95	376.01	37.60	70.00
18	उर्दीगोण्डा सम्पर्क मार्ग से कोरियनपुरवा से अईमा कुट्टी, बेनीमाधवपुरवा से नथुरिया मोड़ चौराहा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	49/2019/109/23-14-2019-78आ0पू0 वि0नि0/2018, दिनांक 07.02.2019	3.10	202.68	162.14	35.54
19	बनकसिया पुल से कन्नूपुर टीकापुरवा, बिहारी सिंह पुरवा, बड़की अंधियारी हलईडीहा होते हुए करोहवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	162/2021/ 486/23-14-2021-08आ0पू0 वि0नि0/2020, दिनांक 25.03.2021	6.10	466.75	46.67	70.00
20	मनकापुर गौरा चौकी मार्ग से कठौवा गांव बरसेनिया तेजूपुर होते हुए घनश्यामपुर पहारडीह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	तदैव	5.50	428.71	42.87	70.00
21	ईरूल से नचना सम्पर्क मार्ग पर नचना पुल से पटरी होते हुए सेमरा जोगीबीर देवदासपुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुलतानपुर**	157/2021/359/23-14-2021-44आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 25.03.2021	1.500	95.86	9.58	50.00
22	बाबूगंज सुदनापुर सम्पर्क मार्ग से मिश्राने स्कूल से धनऊ का पुरवा पंडिताइन का पुरवा नगरहवा होकर तकिया से गुसारगंज मरियम सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुलतानपुर**	तदैव	2.500	156.54	15.65	70.00
		कुल योग-	**59.29**	**3801.25**	**1116.93**	**1045.31**

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजनाओं की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत " पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-28/2022/81(3)/23-14-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।